न्यायालय उपखंड अधिकारी लूनकरनसर

बअदालत :– राजेन्द्र कुमार–।। आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 130 / 2017

1. सुनीतारानी पत्नी राकेश कुमार जाति अरोड़ा निवासी फतेहाबाद पंचतूर तहसील व जिला मोगा (पंजाब)
2. द्रोपती पत्नी शंकरलाल जाति ब्राह्मण } निवासीगण अरजनसर स्टेशन
3. रामचन्द्री पत्नी मनीराम जाति ब्राह्मण } तहसील लूनकरनसर, बीकानेर।
4. महेश कुमार पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोटबाद नामोतान।
5. मांगीलाल पुत्र गणपत जाति ब्राह्मण निवासी रामप्रताप कॉलोनी सरदारशहर।

–वादीगण–

बनाम

1 मुख्त्यार सिंह पुत्र दीवान सिंह जाति जट सिक्ख निवासी खेड़ीबबासावन तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।

2 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार लूनकरनसर

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1 वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामकरण मूण्ड ।

2 पेरोकार राज

दावा बाबत घोषणात्मक नक्शा दुरूस्ती

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए एवं धारा 131,132,136 एलआर एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक :–16.01.2023

वादीगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी हैं। वादीगण की ओर से वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए एवं धारा 131,132,136 एलआरएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम रोही चक भंवरिया के पुराने खसरा नम्बर 294 / 22 हाल खसरा नम्बर 39 तादादी 2.7100 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 ने तत्कालीन खातेदार से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तब से उपरोक्त भूमि पर निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। पत्रावली शामिल नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की गई है जिसके मुताबिक वादीगण की उपरोक्त भूमि का पूर्ण भाग राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से पूर्व व पश्चिम दिशा में दोनो तरफ चिपता हुआ स्थित हैं तथा उसी तरमीम के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 का खरीद के दिन से निरन्तर कब्जा एवं दखल चला आ रहा हैं। मुताबिक जवाब राजपैरोकार तनकी की [illegible] प्रतीत नहीं होती हैं। मौजा रोही चक भंवरिया का भू प्रबंध [illegible] पैमाईश की कार्यवाही करके खसरा नम्बर 294 / 22 [illegible] के नये खसरा [illegible] तादादी 2.7100 हैक्टेयर पर्चा खतोनी बनाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] को दी गई। भू प्रबन्ध विभाग ने वादीगण को किसी प्रकार नोटिस साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादीगण की पुख्ता तरमीमशुदा कब्जे काश्त की भूमि पर अवैधानिक तरीके से नये खसरा नम्बर 33,34,37 की तरमीम की है जो अवैध शून्य एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण दुरूस्ती करने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra K
Date: 2023.01.27 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

भू प्रबन्ध विभाग द्वारा तैयार नक्शे की नकल दिनांक 29.08.2017 को लेने पर वादीगण को उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई भू प्रबन्ध विभाग को किसी प्रकार के अधिकारों को परिवर्तित करने या रद्दोबदल करने का अधिकार नहीं है मात्र पूर्ववर्ती इन्द्राजों को रिपीट करने का अधिकार होता है इसलिये उक्त कार्य अवैध एवं शून्य है । वादीगण ने भू प्रबन्ध विभाग में उक्त गलत तरमीम को निरस्त करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तब भू प्रबन्ध विभाग द्वारा यह कहकर प्रार्थना पत्र वापिस लौटा दिया कि भू प्रबन्ध विभाग कार्यवाही राज्य सरकार के आदेशानुसार बन्द कर दी गई है इसलिए उक्त तरमीम संबंधी कार्यवाही उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें तब वादीगण को प्रतवादी संख्या 2 के विरूद्ध घोषणात्मक एवं तरमीम दुरूस्ती का वाद कारण हासिल हुआ । अतः वकील वादीगण द्वारा निवेदन किया गया की वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ग्राम रोही चक भंवरिया के पुराने खसरा नम्बर 294/22 हाल खसरा नम्बर 39 तादादी 2.71 हैक्टेयर खरीदशुदा हैं। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 की पूर्व तरमीम को गलत जगह तरमीम कर दिया गया को निरस्त करवाकर पूर्व कब्जा एवं तरमीम के अनुसार तरमीम फरमाई जाकर भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई तरमीम को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया। वाद–पत्र में समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खसरा नम्बर 39 रोही चक भंवरिया, नजरी नक्शा, प्रति नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 294/22, बैयनामा प्रति, जमाबन्दी संवत् 2065–68, मिलान क्षेत्रफल प्रति आदि शामिल पत्रावली हैं।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रामकरण मूण्ड ने बहस प्रारंभ करते हुवे हुए वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि रोही मौजा चक भंवरिया के पुराने खसरा नम्बर 294/22 हाल खसरा नम्बर 39 तादादी 2.7100 हैक्टेयर बारानी खातेदारी भूमि वादीगण 1 ता 5 ने प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से उपरोक्त भूमि पर निरन्तर कब्जाकाश्त चला आ रहा हैं। उक्त रकबा नक्शा में लालस्याही से तरमीम की गई है जिसके मुताबिक उपरोक्त भूमि वादीगण की राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से पूर्व व पश्चिम में दोनो तरफ चिपता हुआ स्थित हैं।

रोही मौजा चक भंवरिया का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा संक्षिप्त में पैमाईश कार्यवाही करके खसरा नम्बर 294/22 मिन के नये खसरा नम्बर 39 तादादी 2. 7100 हैक्टेयर खतौनी बनाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को दे दी गई। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादीगण के नाम से पूर्व में लाल स्याही से पुख्ता तरमीम को हटाकर गलत तरीके से वादीगण की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग 62 काफी दूर तरमीम कर दी गयी तथा वादीगण की सडक से चिपती हुई भूमि पर नये खसरा नम्बर 33,34,37 बनाकर अवैध तरमीम कर दी गई हैं। जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारों के समक्ष प्रभावहीन एवं शुन्य होने के कारण [illegible] है। वकील वादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में प्रमाणित प्रति जमाबन्दी खसरा नम्बर 39 रोही मौहा चक भंवरिया, नजरी नक्शा खसरा नम्बर 39, [illegible] खसरा नम्बर 294/22 , बैयनामा वादीगण सुनीता रानी , मांगीलाल , [illegible] रामचन्द्री पेश की। मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 294/22 तदादी 2.7100 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 39 पेश की। नजरी नक्शा खसरा नम्बर 22 मौजा रोही चक भंवरिया पेश किया हैं। जिसमें खसरा नम्बर 22 लालस्याही में तरमीम किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के अन्त में पुनः निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की चक भंवरिया के गत खसरा नम्बर 22 मिन बट्टा नम्रान में खसरा नम्बर वर्तमान 39 तादादी 2.7100 हैक्टेयर जो संयुक्त खातेदारी है को भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शा में कब्जाकाश्त व तरमीमशुदा भूमि की सडक से दूर खसरा नम्बर 33,34,37 को राष्ट्रीय राजमार्ग पर तरमीम की गई है को निरस्त कर पुराना कब्जाकाश्त की राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर लाल स्याही से की गई तरमीम अनुसार कायम करने के आदेश भूमिधारी तहसीलदार लूनकरनसर को फरमावे तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शा में दुरूस्ती की घोषणा फरमाई जावे।

वकील वादीगण की बहस के प्रत्युत्तर में पैरोकार राज ने कथन किया कि पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद साबित होता है रिकार्ड एवं मौका अनुसार तरमीम दुरूस्ती की घोषणा में सरकार को आपत्ति नहीं हैं।

हमने बहस का मनन किया । प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादीगण की रोही मौजा चक भंवरिया की गत खसरा नम्बर 294/22 की 10.14 बीघा भूमि में से 1.10 बीघा द्रोपती पत्नी शंकरलाल, 4 बीघा रामचन्द्री पत्नी मनीराम खसरा नम्बर 440/22 की 0.01 बिस्वा महेश कुमार व मांगीलाल खसरा नम्बर 204/22 की 3.14 बीघा वादीया सुनीता रानी, खसरा नम्बर 289/22 की 5. 04 बीघा राकेश कुमार पुत्र मनोहरलाल को मुताबिक छायाप्रतिया सैलडीड ममें प्रमाणित होता है जिसमें वर्तमान खसरा नम्बर 39 की तादादी 2.7100 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से सुंयक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड हैं। सैल डीड में गत खसरा नम्बर 22 मिन राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर दर्शाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद समन तामील के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये हैं। प्रस्तुत रिकॉर्ड, नक्शा गत खसरा नम्बर 22 मिन सैल डीड, जवाब स्टेट व पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 22 मिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग 62 पर पूर्व से पश्चिम दिशा में लाल स्याही से तरमीम शुदा के स्थान पर नये खसरा नम्बर 33,34,37 कायम कर वादीगण की भूमि को राष्ट्रीय राजमार्ग 62 से दूर तरमीम कर दी है इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व तरमीम के विपरीत की गई खसरा नम्बर 33,34,37 की तरमीम को प्रभाव शुन्य घोषित किया जाता है व पूर्व तरमीम के अनुसार पुनः तरमीम करे तथा वादीगण की गत खसरा नम्बर 294/22 की 2.7100 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नम्बर 39 की 2.7100 हैक्टेयर भूमि को पूर्व में लाल स्याही से तरमीम शुदा पूर्व से पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग कायम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kuma
Date: 2023.01.27 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

ब इजलास : राजेन्द्र कुमार–।।, आरएएस

सुनीतारानी वगै. **बनाम** मुख्त्यारसिंह वगै0

दावा अंतर्गत धारा 88,89 आरटीए एवं धारा 131,132,136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर :– 130/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी **वकील वादीगण श्री रामकरण मूण्ड**, मिनजानिब मुदई **पैरोकार राज राज्य की ओर से** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व तरमीम के विपरीत की गई खसरा नम्बर 33,34,37 की तरमीम को प्रभाव शुन्य घोषित किया जाता है व पूर्व तरमीम के अनुसार पुनः तरमीम करे तथा वादीगण की गत खसरा नम्बर 294/22 की 2.7100 हैक्टेयर वर्तमान खसरा नम्बर 39 की 2.7100 हैक्टेयर भूमि को पूर्व में लाल स्याही से तरमीम शुदा पूर्व से पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग कायम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर मुताबिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करें।

नीज ....- ....मुबलिक ....- ....बाबत खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -............................ फीस सदी सालाना आज की तारीख से वसूल याबो तक ....-......................... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक .... को डिक्री जारी की गई।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kumar
Date: 2023.01.27 11:15:14 IST
Reason: SelfAttested